न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–30 / 2019

1. ईश्वर सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धर्मशाला तहसील व जिला सीकर।

वादीगण,

बनाम

1. किरण कंवर पत्नि जगदीश सिंह
2. गेन्द कंवर पत्नि भंवर सिंह
3. गोपाल सिंह पुत्र जीवण सिंह
4. जगदीश सिंह पुत्र जीवण सिंह
5. जस्सु कंवर पत्नि जीवण सिंह
6. झुमरपाल सिंह पुत्र सुख सिंह
7. भंवर सिहं पुत्र जीवण सिंह
8. मेजर सिंह पुत्र सुख सिह
9. रामसिह पुत्र सुख सिंह
10. श्रवण सिंह पुत्र जीवण सिंह
11. सुमित्रा कंवर पत्नि मदन सिंह
12. होशियार सिंह पुत्र सुख सिंह
13. संजू कंवर पत्नि चैनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम धर्मशाला तहसील व जिला सीकर।

14 सत्यनारायण पुत्र रूडमल जाति ब्राहमण निवासी धर्मशाला तहसील व जिला सीकर।

15 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बेरी जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक

16 हल्का पटवारी पटवार हल्का बेरी तहसील सीकर जिला सीकर

17 तहसीलदार सीकर जिला सीकर (भूमिधारक)

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, वकील वादी की ओर से।
2. श्री कानपुरी गोस्वामी,वकील प्रति0 संख्या 1 ता 5, 7 ता 9, 11, 12 व 14की ओर से।

अनुपस्थितः–

1 श्री रामदेव सिंह शिवराय वकील प्रति0 संख्या 6 व 10 की ओर से

:निर्णयः

दिनांकः–13. 5. 24

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से कि वादी ने विभाजन हेतु मुख्य अनुतोष प्राप्त के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि राजस्व ग्राम धर्मशाला पटवार हल्का बेरी तहसील सीकर जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नं 1485 रकबा 1.4900 है0, खसरा नं 1483 रकबा 4.2500 है0, खसरा नं 1484 रकबा 2.5400 है0, खसरा नं 1446 रकबा 2.8800 है0 कुल किता 4 रकबा 11.16 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 14 की सह खातेदारी भूमि है। जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 में मध्य वाहमी विभाजन कर रखा हैं परन्तु खाता सामलाती है। जिस कारण वादी को अपनी कृषि भूमि को विकसित

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में समस्या होती है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इत्यादि।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया। ततपश्चात् दिनांक 04.08.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सीकर को नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में बनाने हेतु निर्देशित किया।

तहसीलदार सीकर के पत्रांक भू.अ / 2023 / 612 दिनांक 01 / 02 / 2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। जो दिनांक 02 / 02 / 2023 को शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष की बहस सूनी। पत्रावली एवं सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा तहसीलदार (भू.अ.) सीकर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारान को नोटिस जारी किये है तथा असालतन तामील हुई है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नं 1485 रकबा 1.4900 है0, खसरा नं 1483 रकबा 4.2500 है0, खसरा नं 1484 रकबा 2.5400 है0, खसरा नं 1446 रकबा 2.8800 है0 कुल किता 4 रकबा 11.16 है0 राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम धर्मशाला पटवार हल्का बेरी तहसील सीकर जिला सीकर की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 14 की सह खातेदारी भूमि है। तथा राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी पक्षकारान अंकित है जिसका कोई प्रतिवाद नहीं है। तहसीलदार सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में खसरा नम्बर 1485, 1483, 1484 व 1446 विभाजन हेतु शामिल किया गया है जबकि 1446 के स्थान पर 1482 होना चाहिए था। इस प्रकार दावे में खसरा नम्बर 1483, 1482, 1484 व 1485 का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य किया गया विभाजन को विभाजन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 3 व 4 पर अंकित कर एवं पृष्ठ संख्या 5 पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। जिससे न्यायालय संतुष्ट है एवं पक्षकारान भी सहमत है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करके डिक्री किया जाने योग्य है।

:आदेशः

परिणामतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक राजस्व / 21 / 373 दिनांक 18 / 08 / 2021 निर्णय एवम् अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सीकर ग्रामीण अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर